28/12/11 05

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

website

जिला योजना

संकल्प

विषय : जिला नवाचार निधि की मार्गदर्शिका।

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली निधि से जिला नवाचार कोष का सृजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिलें को एक करोड़ रूपये का अनुदान की राशि दो किस्तों में वर्ष 2011-12 से विमुक्त की जायेगी। यदि किसी जिले द्वारा इस राशि का ससमय उपयोग करने हेतु कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त स्थिति में जिले की राशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह योजना ''जिला नवाचार निधि'' के नाम से जानी जायेगी।

उद्देश्य

2. इस कोष के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिले में आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र की छोटी-मोटी कमियों को दूर कर सृजित पूँजीगत संरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। यह राशि जिले को अनाबद्ध निधि के रूप में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग वैसी योजनाओं के लिए किया जा सकता है जिसके लिए सामान्यतया राज्य योजना अंतर्गत राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है।

निधि अंतर्गत अनुमान्य योजनाओं की प्रकृति

3.1 : आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में विद्यमान सृजित पूँजीगत एसेट्स, जिसका उपयोग किसी अल्प राशि की वजह से नहीं किया जा रहा है उसे जिला नवाचार कोष की राशि से संरचना को उपयोगी बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अस्पताल में कोई डायोग्नोस्टिक मशीन कार्यरत न हो, अथवा किसी मध्यम् सिंचाई योजना अंतर्गत सुलिस गेट के अकार्यरत हो जाने के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, अथवा कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु मिट्टी परीक्षण की योजना हेतु मशीन क्रय की आवश्यकता हो तो इस प्रकार की योजना जिला नवाचार निधि से ली जा सकती है।

3.2 : योजनायें ऐसी ली जायें जिससे समाज के सभी वर्गो का सरकार तक पहुँच हो एवं जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायक हो सके।

3.3 : योजनाओं के चयन का आधार माँग आधारित होगा न कि आपूर्ति आधारित।

3.4 : योजना के चयन के कम में यह ध्यान दिया जायेगा कि चयनित योजना की राशि का व्यय सुनिश्चित हो एवं योजना अधूरी नहीं रहे।

d.drive/harendra/Zilanavcharnidhi/Guidelines3